मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद सं. ११/२०२० (एम.ए.सी.पी. ११०/२०१४)

मण्डलीय प्रबन्धक दि ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कं. लि. बनाम अमरीश तोमर आदि

०८.१०.२०२०

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कं. लि. की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष मौखिक रूप से यह अनुरोध किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में पी.एन.बी. शाखा झोकन बाग, झाँसी को आदेशित किया जाए कि वह माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा एफ.ए.एफ.ओ. सं. १६१५/२०१५ ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. बनाम अमरीश तोमर व अन्य में पारित आदेश दिनाँकित १०.१०.२०१७ के आलोक में याचीगण द्वारा एफ. डी. आर. में जमा धनराशि याचीगण के पक्ष में रिलीज न करें।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा एफ.ए.एफ.ओ. सं. १६१५/२०१५ ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. बनाम अमरीश तोमर व अन्य में पारित आदेश दिनाँकित १०.१०.२०१७ व पत्रावली का अवलोकन किया गया । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त एफ.ए.एफ.ओ. में अग्रिम तिथि नियत की गयी है तथा ५०–५० प्रतिशत धनराशि आदेश में वर्णित अनुसार न्यायाधिकरण में बीमा कम्पनी द्वारा जमा किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अतः मामले की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये सबंधित बैंक पी.एन.बी. शाखा झोकन बाग, झाँसी को प्रस्तुत प्रकरण में जमा एफ.डी.आर.की धनराशि याचीगण/विपक्षीगण के पक्ष में बिना न्यायाधिकरण के आदेश के रिलीज न किये जाने के लिए आदेशित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक, शाखा झोकनबाग, झाॅसी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रकीर्ण वाद सं.०९/२०२०(११०/२०१४) मण्डलीय प्रबन्धक दि ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कं. लि. बनाम अमरीश तोमर आदि में एफ.डी.आर. के रूप में जमा धनराशि बिना न्यायाधिकरण के अग्रिम आदेश के किसी के पक्ष मे रिलीज न करें। पूर्व आदेशानुसार मूल पत्रावली तलब नहीं हुई है। कार्यालय मूल पत्रावली नियत दिनाँक के लिए तलब करे। इस आदेश की एक प्रति पंजाब नेशनल बैंक, शाखा झोकनबाग, झाॅसी को अबिलंब अनुपालनार्थ प्रेषित की जाय।

पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश नियत दिनाँक १६.१०.२०२० को पेश हो।

(चन्द्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाॅसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.10.08 22:02:30 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI